**संख्या-34 /2025/001-118-24-1-2025-1354 BUDGET-2021**

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

**ऊर्जा अनुभाग-1** **लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2×210 मेगावाट पारीछा तापीय परियोजना पर ESP Retrofiting के कार्य की स्थापना हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पत्र संख्या-19/उ0म0प्र0(वित्त)/उ0नि0लि0, दिनांक 13 जनवरी, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2×210 मेगावाट पारीछा तापीय परियोजना पर ESP Retrofiting के कार्य की स्थापना हेतु ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष 4801-02-190-14-1411-30 में प्राविधानित धनराशि रूपये 27,76,00,000/- (रूपये सत्ताइस करोड़ छिहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

**नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों**

(1) कार्यादेश निर्गत हो जाने के उपरान्त ही तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर उक्त धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(2) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42 जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(4) उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

(5) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शतों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त परियोजना हेतु निर्गत कार्यादेश की प्रति उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) उक्त परियोजना हेतु अब तक अवमुक्त अंशपूंजी, आहरित ऋण, कुल व्यय एवं भौतिक प्रगति के बारे में सूचना/विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 27,76,00,000 ( रुपये सत्ताईस करोड़ छिहत्तर लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 4801021901411 2X210 मेगावाट पारीछा तापीय परियोजना पर ESP Retrofitting का कार्य एवं इस हेतु परामर्शी सेवा हेतु अंशपूंजी **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-145-X-2024-25-दिनांक:30-3-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

**संख्या-34/2025/002-118(1)-24-1-2025-1354 BUDGET-2021, तद् दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम/(लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।